

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 189/2026

फरीद अहमद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: ब्रजेश शुक्ला, सुशील कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: अरुण कुमार पाण्डेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान रिट याचिका संदर्भ कार्यवाहियों से उत्पन्न हुई है।
2. चकबंदी अधिकारी ने उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 42ए के तहत दिनांक 28.03.2025 को आदेश पारित किया है, जिसके द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता के चक को संशोधित किया गया था।
3. यह तर्क दिया गया है कि चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय आदेश है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश को कभी उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। संदर्भ आदेश चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 28.03.2025 के आदेश के आधार पर पारित किया गया था।
4. काफी देर तक विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को इस स्तर पर वापस लेने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है, ताकि वे कानून के तहत सलाह के अनुसार, चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उचित फोरम के समक्ष उचित उपचार प्राप्त कर सकें।
5. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका इस स्तर पर वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

विनय